रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1972/माघ 5 1893
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1972/MAGHA 5, 1893

SS
25/2/72

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November 1971

S.O. 67(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1971.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970—

(a) in clause 15, in sub-clause (1), for the word "five", the word "six" shall be substituted;

(b) in the Second Schedule—

(i) in item 2, for the words and brackets "States of Assam (including Meghalaya), Nagaland, West Bengal, Bihar and Orissa and the Union territories of Manipur, Tripura and the Andaman and Nicobar Islands", the words "States of West Bengal, Bihar and Orissa and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands" shall be substituted;

(ii) after item 2, the following item shall be inserted, namely:—

"2A. The North-Eastern Area shall consist of the States of Assam (including Meghalaya) and Nagaland and the Union territories of Manipur and Tripura."

[No. F. 1(7)PSB-NB/71.]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1971

एस० ओ० 67 (अ).—बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा विविध उपबन्ध) योजना 1970 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा विविध उपबन्ध) (संशोधन) योजना 1971 कहा जायेगा ।

(2) यह योजना उस तारीख से लागू होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित की जायगी ।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना 1970 में—

(क) खण्ड 15 के उपखण्ड (1) में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द "छः" पढ़ा जायेगा ;

(ख) दूसरी अनुसूची में —

(i) मद 2क कोष्ठकों में दिये गये "असम (मेघालय सहित), नागालैण्ड पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य तथा मणीपुर त्रिपुरा और अण्डमान और नीकोबार द्वीपसमूह संघीय राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह" शब्द पढ़े जायेंगे ।

(ii) मद 2 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जायेंगी अर्थात् :—

"2क—उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असम (मेघालय सहित) और नागालैण्ड के राज्य तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्र शामिल होंगे "

[सं० 1(7) पी० एस० बी० न० बी० 71]

एम० जी० बालसुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972